न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 18/445

1. सुरेन्द्र कुमार उम्र 33 वर्ष पुत्र श्री भैरूलाल जी जाति ब्राह्मण ।
2. कन्हैया लाल उम्र 31 वर्ष पुत्र श्री भैरूलाल जी जाति ब्राह्मण निवासीगण नागरा खेडी तहसील सांगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. मुकेश कुमार
2. महावीर
3. हरिमोहन पिसरान जानकी लाल जाति धाकड निवासीगण नागराखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
4. जोधराज पुत्र श्री रामकरण जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :-
   4/1. सियाराम पुत्र जोधराज जी जाति धाकड ।
   4/2. सीमा बाई
   4/3. समेन्द्रा बाई
   4/4. मनभर बाई
   4/5. नट्टी बाई
   4/6. गिरजा बाई पुत्रियॉ स्व0 जोधराज जी जाति धाकड निवासीगण नागराखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
   4/7. रूकमणी बेवा जोधराज जी जाति धाकड निवासी ग्राम नागराखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
5. नन्दकिशोर पुत्र आनन्दीलाल जाति धाकड निवासी मकडावद तहसील सांगोद जिला कोटा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगोद जिला कोटा ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :- 1. श्री रघुवीर सिंह राठौड, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 05.08.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2010 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी रेस्पोडेन्ट कम 1 ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद पेश कर कथन किया कि ग्राम नागराखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा में खाता संख्या 32 की खसरा नम्बर 88 की 12 बीघा 14 बिस्वा, खसरा नम्बर 116 की 04 बीघा 19 बिस्वा कुल 02 किता की 17 बीघा 13 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि प्रभूलाल आत्मज खेमसुख के खाते में दर्ज थी । वादी उक्त भूमि पर काफी समय से खातेदार प्रभूलाल की सहमति से काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त भूमि के खातेदार प्रभूलाल ने अपने जीवनकाल में वादी के पक्ष में एक वसीयत दिनांक 09.06.97 को निष्पादित कर दी । प्रभूलाल की मृत्यु दिनांक 08.07.97 को हो गई उनकी मृत्यु के बाद वादी वसीयत के आधार पर उक्त भूमि का मालिक एवं खातेदार हो चुका है । प्रतिवादी नन्दकिशोर एक स्ट्रेन्जर व्यक्ति है जिसका मृतक खातेदार श्री प्रभूलाल से एवं उसकी भूमि से कोई लेना–देना नहीं है । पिछले 40 वर्षों से प्रतिवादी ने उक्त भूमि को काश्त नहीं किया है । प्रतिवादी ने फर्जी इंतकाल संख्या 109 से उक्त भूमि अपने नाम खाते में दर्ज करवा ली है । प्रतिवादी कम 1 उक्त इंतकाल के आधार पर उक्त भूमि को बेचान, खुर्द–बुर्द करने की धमकी देता है इस कारण उक्त इंतकाल संख्या 109 को वादी के विरूद्ध प्रभावशून्य घोषित करवाकर वादी वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है।

3. अतः वादी के पक्ष में तथा प्रतिवादी कम 1 के विरूद्ध इस आशय की डिकी पारित की जावे कि वादग्रस्त आराजी का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा इंतकाल संख्या 109 दिनांक 16.10.97 को शून्य घोषित कर वादी को वसीयत के आधार पर वादग्रस्त आराजी का खातेदार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के शांतिपूर्वक कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं और न ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें । यदि दौराने दावा प्रतिवादी कम 1 वादी को उक्त भूमि से बेदखल कर दे तो वादीगण को भूमि पर पुनः दखल भी दिलाया जावे ।

4. प्रतिवादी कम 1 ने जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए वादी का वादपत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिकी दिनांक 30.07.2010 के द्वारा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर डिकी कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिकी दिनांक 30.07.2010 से व्यथित होकर अपीलान्टगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी स्व0 प्रभूलाल जी की थी जो प्रतिवादी कम 1 के सगे मामा थे हक विरासत के आधार पर प्रतिवादी नन्दकिशोर के नाम नामान्तरकरण संख्या 109 तस्दीक कर उक्त भूमि प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज की गई । प्रतिवादी नन्दकिशोर द्वारा उक्त भूमि को अपीलान्ट सुरेन्द्र कुमार, कन्हैया लाल को बेचान कर कब्जा संभला दिया तथा इंतकाल संख्या 111 दिनांक 15.0698 से उक्त आराजी अपीलान्ट के नाम खाते में दर्ज हो गई तब से ही उक्त भूमि पर अपीलान्ट काबिज काश्त चले आ रहे हैं । उक्त वाद में अपीलान्टगण को पक्षकार नहीं बनाया था । वादी का उक्त भूमि से किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध नहीं है तथाकथित वसीयत जो कि अपने आप में फर्जी वसीयत से उसे कोई हक व अधिकार प्राप्त नहीं होता है । वादी द्वारा अपीलाधीन निर्णय की पालना में एक फौरी कार्यवाही पेश कर दिनांक 22.07.2014 को अपने पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 117 दर्ज करवाकर राजस्व रिकॉर्ड से अपीलान्टगण का नाम

हटवाकर स्वयं का नाम अंकित करवा लिया । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी पेश कर कथन किया कि अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी के बोनाफाईड परचेजर हैं तथा भूमि पर काबिज काश्त है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री से अपीलान्ट के हित प्रभावित हुए हैं । अपीलान्ट प्रभावित पक्षकार हैं । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपीलान्ट को अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

8. हमने उक्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । अपीलान्ट द्वारा उक्त भूमि को क्रय किया जाना बताया है तथा बेचान के आधार पर उक्त भूमि उनके नाम खातेदारी में दर्ज थी । अपीलान्ट प्रस्तुत प्रकरण में हितबद्ध पक्षकार हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।

9. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट को पक्षकार बनाये बिना उनकी अनुपस्थिति में उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की है । अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 28.06.2018 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर हुई जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

10. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

11. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रभूलाल के खाते से नन्दकिशोर के खाते नामान्तरकरण संख्या 109 दिनांक 16.10.1997 से दर्ज हो गई थी । नन्दकिशोर ने दावा के सम्मन की तामील होने के पूर्व ही वादग्रस्त आराजी का बेचान कर दिया था और अपीलान्टगण के पक्ष में इंतकाल दिनांक 15.06.98 को खोला गया था जवाबदावे में यह तथ्य अंकित है । जवाबदावा रिकॉर्ड पर आने के बाद भी वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट को उक्त वाद में पक्षकार नही बनाया है । अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट के पक्ष में हुए बेचान को प्रभाव शून्य मानकर अपीलान्ट के पक्ष में तस्दीक नामान्तरकरण को निरस्त करते हुए खाते से अपीलान्ट का नाम हटाये जाने का आदेश पारित कर दिया है जबकि उक्त वाद में अपीलान्ट को पक्षकार बनाया जाकर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण का निस्तारण करना चाहिए था । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2010 निरस्त फरमाया जावे ।

12. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि पूर्व में इस निर्णय की अपील इस न्यायालय में की जा चुकी है और इस न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक

07.02.2014 सेअपीलान्ट नन्दकिशोर की अपील खारिज की जा चुकी है । ऐसी स्थिति में चूँकि इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 07.02.2014 को निर्णय पारित करते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 30.07.2010 को यथावत रखा गया है, पुनः यह अपील इस न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है । अपीलान्ट माननीय राजस्व मण्डल में अपना पक्ष रख सकते हैं ।

13. हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

14. अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 07.02.2014 संलग्न है । इस निर्णय के अनुसार अपीलान्ट नन्दकिशोर जो कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी था के द्वारा अपीलाधीन निर्णय के खिलाफ अपील पेश की गई थी जो इस न्यायालय के द्वारा दिनांक 07.02.2014 को पारित निर्णय से खारिज की जा चुकी है । ऐसी स्थिति में उसी निर्णय के खिलाफ पुनः यह अपील इस न्यायालय में मेन्टेनेबल नहीं है । परीक्षण न्यायलय के निर्णय दिनांक 30.07.2010 के खिलाफ पेश अपील में वर्तमान में इस न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.02.2014 अंतिम हो चुका है । अपीलान्ट माननीय राजस्व मण्डल में अपील पेश करने के लिए स्वतंत्र हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2010 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 05.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

Judl/Govt.
Parrt 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 18/445

1. सुरेन्द्र कुमार उम्र 33 वर्ष पुत्र श्री भैरूलाल जी जाति ब्राह्मण ।
2. कन्हैया लाल उम्र 31 वर्ष पुत्र श्री भैरूलाल जी जाति ब्राह्मण निवासीगण नागरा खेडी तहसील सांगोद जिला कोटा ।

——अपीलार्थी

बनाम

1. मुकेश कुमार
2. महावीर
3. हरिमोहन पिसरान जानकी लाल जाति धाकड निवासीगण नागराखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
4. जोधराज पुत्र श्री रामकरण जी (मृतक) जरिये कायममुकामान :—
   4/1. सियाराम पुत्र जोधराज जी जाति धाकड ।
   4/2. सीमा बाई
   4/3. समेन्द्रा बाई
   4/4. मनभर बाई
   4/5. नट्टी बाई
   4/6. गिरजा बाई पुत्रियॉ स्व0 जोधराज जी जाति धाकड निवासीगण नागराखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
   4/7. रूकमणी बेवा जोधराज जी जाति धाकड निवासी ग्राम नागराखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
5. नन्दकिशोर पुत्र आनन्दीलाल जाति धाकड निवासी मकडावद तहसील सांगोद जिला कोटा ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगोद जिला कोटा ।

——प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2010 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा ।

ख्याः 802 / दावा / 1997

1. मुकेश कुमार आत्मज श्री जानकी लाल आयु 12 वर्ष नाबालिंग जरिये वली श्री जानकी लाल जाति धाकड निवासी ग्राम नागराखेडी तहसील सांगोद ।
2. महावीर आत्मज श्री जानकी लाल नाबालिग जरिये वली श्री जानकी लाल जाति धाकड निवासी ग्राम नागराखेडी तहसील सांगोद ।
3. हरिमोहन आत्मज जानकी लाल आयु 05 वर्ष नाबालिग जरिये वली श्री जानकी लाल जाति धाकड निवासीगण नागराखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा ।
4. जोधराज पुत्र श्री रामकरण जी आयु 50 वर्ष जाति धाकड निवासी ग्राम नागराखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा ।

——वादी

बनाम

1. नन्दकिशोर पुत्र आनन्दीलाल जाति धाकड निवासी मकडावद तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगोद जिला कोटा ।

——प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2010 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात...** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. यह अपील तारीख 05.08.2019 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से अभिभाषक श्री रघुवीर सिंह राठौड एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री नरेन्द्र गुप्ता के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्ट मेन्टेनेबल नहीं होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.07.2010 बहाल रखा जाता है ।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है ।

यह डिक्री आज तारीख 05.08.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

5/8/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा